

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यपूर्वा, ग्रामलिंग

प्रकरण क्रमांक १२०१७ निगरानी
एकान्तरनी/दतियाश्रुत्या/२०१७/५६३४

श्रीमान दतियाश्रुत्या
द्वारा आज २५/११/१७
प्रस्तुत

क्रमांक ५६३४
दतियाश्रुत्या
राजस्व मण्डल मध्यपूर्वा

- १- मनीषा कुमार
- २- मंगेश उपर्युक्त मनीषा
पुत्रगणा पवन कुमार निवासी ग्राम खड़ीबांगा,
तेहसील इन्द्रगढ़ जिला दतिया-मध्यपूर्वा।

----- प्रार्थिणा

बिराघद

- १- रमेश चन्द्र पुत्र नारायण दास गुप्ता,
निवासी कर्खा व तेहसील इन्द्रगढ़,
जिला दतिया-मध्यपूर्वा।
- २- पवन कुमार पुत्र मदनमोहन,
निवासी ग्राम खड़ीबांगा, तेहसील इन्द्रगढ़
जिला दतिया-मध्यपूर्वा।

----- प्रतिप्रार्थिणा

निगरानी बिराघद आक्षे तेहसीलदार महोदय, तेहसील इन्द्रगढ़ दिनांक
२६-१०-१७, अन्तर्गत धारा ५० मध्यपूर्वा भू-राजस्व संहिता १६५६/प००३०
पांच-७०। १६-१७ मीजा नेतुबापुरा।

श्रीमान् जी,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-


- १- यह कि, ऐसे छह०छ०ख० तेहसीलदार महोदय की जाशा का नूका
सही नहीं है।
- २- यह कि, तेहसीलदार महोदय ने प्रकरण के स्वाल्पमं रूपानुनी
स्थिति को सही नहीं समझा है।
- ३- यह कि, विवादित आक्षे स्वयं बोलता हुआ आक्षे न हीने से
आक्षे की परिषाक्षा में नहीं जाता है, ऐसी स्थिति में निरस्ती
योग्य है।
- ४- यह कि, तेहसीलदार महोदय ने प्रार्थिणा की बारे से प्रस्तुत आवेदनपत्र

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- एक/निग./दतिया/भू.रा./2017/4634

मनीष कुमार आदि विरुद्ध रमेशचन्द्र आदि

दिनांक	तथा कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिकारीकारों आदि के हस्ताक्षर
31/5/19	<p>प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला दतिया के प्रकरण क्रमांक- 8/अ-70/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 26/10/2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला दतिया के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 19/7/19 को कलेक्टर जिला दतिया के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p></p>	<p> (आर0के0 31/5/19)</p> <p>सदस्य</p>